



अज अदालत सहायक कलक्टर(फास्ट-ट्रेक), डीग जिला डीग

मोहित वर्गो बनाम प्रशान्त

मुकदमा किस्म:- अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट,

नम्बर :- 91 / 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.11.2024	<p>सायलान के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. पर सायलान के विद्वान वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। सायलान के वकील द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया। प्रथम दृष्ट्या प्रकरण सुविधा का संतुलन एवं क्षति सायलान के पक्ष में प्रतीत होती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए दर्ज रजिस्टर किया जावे।</p> <p>अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध गैर सायल इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित आराजी खसरा नम्बरान 1371/0.14, 1372/0.15, 1374/0.15, 1377/0.25, 1378/0.16, 1379/0.19, 1425/0.32, 1426/0.21, 1497/0.03, 1498/0.23, 1499/0.36, 1942/1373/0.12, 1944/1375/0.18, 1501/0.25, 951/0.29, 952/0.23, 955/0.23, 956/0.15 वाके ग्राम गिरसै तहसील जनूथर में स्थित आराजीयात पर मौके व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखने, रहन वय मुन्तकिल नहीं किये जाने हेतु गैर सायल को आगामी आदेश तक अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। गैर सायलान की तलबी जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस से कराई जावे। यदि उक्त अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के सम्बन्ध में किसी को कोई उज्र हो तो न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर पेश करें। आयन्दा पत्रावाली वास्ते तलबी गैर सायलान रजिस्टर्ड ए.डी.कराई जाकर दिनांक 23.12.2024 को पेश हो</p> <p style="text-align: center;">               (देवी सिंह)              सहायक कलक्टर (FT)              डीग           </p>	
23 <sup>12</sup> / <sub>24</sub>	<p>कलक्टर फास्ट/ट्रेक अहकाम, Not presented              पक्षीय बहस के आवाज में कलक्टर के              Not presented अहकाम के अन्तर्गत 23/12/24              किया/आवाज: आ = फर्द 212 RTA के              जारी/आवाज: आ = 12-11-24 के अहकाम              किया जाता है, फर्द = फास्ट ट्रेक              नम्बर के अन्तर्गत</p>	<p>Not presented                23/12/24</p>

अधिकारी